

OFFICE OF THE DEAN (STUDENTS' WELFARE)
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY KURUKSHETRA

No. Dean (SW)/26/280

Date: 24.07.2026

NOTIFICATION

In order to maintain discipline and to avoid any untoward situation in the Institute, the following guidelines are to be adopted by students.

1. The students will not be allowed to enter and/or exit from the security gates of the Institute after 10.00 pm. However, the students with prior written permission of the respective Hostel Wardens/Faculty I/c(s) will be allowed to enter and/or exit from the security gates of the Institute after 10.00 pm. Such students will be required to enter their details in the register kept at the security gate.
2. In exceptional cases, the students may be allowed to enter and/or exit from the security gates of the Institute after 10.00 pm. In such cases, the students are required to submit their Student ID/Hostel ID Card (Hard Copy) at the security gates which may be collected later on from the office of the Chairman, Proctorial Board after completion of the scrutiny of their genuineness.
3. The Chairman, Proctorial Board will assess the genuineness of the circumstances of the students as mentioned at point no 2 above and may recommend disciplinary action, if any, on the students concerned to the office of the Chief Warden (Boys). The Chief Warden (Boys) will impose appropriate penalty or disciplinary action as deemed fit.
4. Use of any kind of motorized 2/4 wheeler vehicle by the students in the Institute campus is already strictly prohibited. Violation of the same will result in disciplinary action recommended by the Chairman, Proctorial Board and to be implemented by the Chief Warden (Boys & Girls).
5. All UG/PG/Ph.D Scholar residing outside the campus as a Day Scholar, should park their vehicle near NIT main gate parking. Vehicles should not be brought inside the campus. The students are advised to follow the above guidelines strictly failing which stern disciplinary action will be initiated against them.

The above notification is issued for information to all the concerned for information and further necessary action.


Dean (Students' Welfare)

Copy to:

1. Notice Board
2. All Deans
3. All HODs/School Coordinators
4. Chief Warden (Boys & Girls)
5. Charman, Proctorial Board
6. Prof. I/c (Security & Surveillance)
7. Faculty I/c (Website) with a request to upload the notification on the Institute Website.
8. Senior Assistant to the Registrar for kind information of the Registrar.
9. Senior Personal Assistant to Director for kind information of Hon'ble Director.

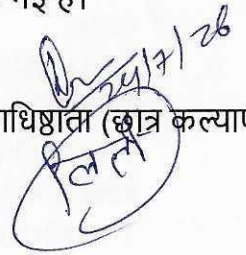
आधिष्ठाता (छात्र कल्याण) का कार्यालय
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र

संख्या/ आधिष्ठाता (छात्र कल्याण)/2026/१४०

दिनांक: 24.07.2026

सूचना

1. संस्थान में अनुशासन बनाए रखने और किसी भी अवांछित स्थिति से बचने के लिए, छात्रों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
2. छात्रों को रात 10:00 बजे के बाद संस्थान के सुरक्षा द्वारों से प्रवेश और/या बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, संबंधित हॉस्टल वार्डन/फैकल्टी I/c के पूर्व लिखित अनुमति वाले छात्रों को रात 10:00 बजे के बाद संस्थान के सुरक्षा द्वारों से प्रवेश और/या बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे छात्रों को सुरक्षा द्वार पर रखे गए रजिस्टर में अपने विवरण दर्ज करने होंगे।
3. विशेष मामलों में, छात्रों को रात 10:00 बजे के बाद संस्थान के सुरक्षा द्वारों से प्रवेश और/या बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, छात्रों को सुरक्षा द्वार पर अपने छात्र आईडी/हॉस्टल आईडी कार्ड (हार्ड कॉपी) जमा करना आवश्यक है, जिसे बाद में उनकी प्रामाणिकता की जांच पूरी होने के बाद अध्यक्ष, प्रोक्टोरियल बोर्ड के कार्यालय से लिया जा सकता है।
4. चेयरमैन, प्रोक्टोरियल बोर्ड छात्रों की परिस्थितियों की वास्तविकता का मूल्यांकन करेंगे जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या 2 में बताया गया है और संबंधित छात्रों पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकते हैं। चीफ वार्डन (बॉयज़) उचित दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करेंगे जैसा कि उचित लगे।
5. संस्थान के परिसर में छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार के मोटर चालित 2/4 पहियों वाले वाहन का उपयोग पहले से ही कड़ाई से प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर प्राचार्य, प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा अनुशासित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और इसे मुख्य वार्डन (लड़के और लड़कियाँ) द्वारा लागू किया जाएगा। सभी यूजी/पीजी/पीएच.डी. स्कॉलर जो डे स्कॉलर के रूप में कैम्पस के बाहर रहते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी NIT मुख्य गेट पार्किंग के पास पार्क करनी चाहिए। गाड़ियों को कैम्पस के अंदर नहीं लाया जाना चाहिए। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें, वरना उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह सूचना सभी संबंधितों को जानकारी और आवश्यक आगे की कार्रवाई के लिए जारी की गई है।


आधिष्ठाता (छात्र कल्याण)

कॉपी करें:

1. सूचना पट्ट
2. सभी डीन
3. सभी HOD/स्कूल कोऑर्डिनेटर
4. मुख्य वार्डन (लड़के और लड़कियाँ)
5. अध्यक्ष, प्रोक्टोरियल बोर्ड
6. प्रोफेसर प्रभारी (सुरक्षा और निगरानी)
7. प्रोफेसर प्रभारी (वेबसाइट) से अनुरोध है कि सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. सम्माननीय रजिस्टार कि जानकारी के लिए सहायक वरिष्ठ को।
9. माननीय निदेशक कि जानकारी के लिए निदेशक के वरिष्ठ निजी सहायक को।